सं० ओ० वि०/यमुना/84-87/42204.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, यमुनानगर के श्रमिक श्री बलाया राम, पुत्र श्री मोंगा राम, 3 काशी नगर, माडल टाऊन, अम्बाला शहर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं.-3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री बलाया राम की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./132-87/42211.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मयूर टूल्ज प्रा० लि०, प्लाट नं० 70, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री समय सिंह, पुत्र श्री गोकुल चन्द मार्फत 51-ए, सैक्टर 6, हिन्द मजदूर सभा, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री समय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि०/एफ.डी./132-87/42218.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मयूर टूल्ज, प्रा० लि०, प्लाट नं० 70, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री डाल सिंह, पुत्र श्री श्रीपाल मार्फत 51-ए, हिन्द मजदूर सभा, सैक्टर 6, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसगत या सम्बन्धित मामला हैं न्यायनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री डाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/135-87/42225.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पी०एस०बी० पेपर मिल्ज लि०, 87-88, सैक्टर 25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अमी चन्द तथा अन्य चार श्रमिक (अनुबन्ध "क") मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50 नीलम चौक, फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री अमी चन्द तथा अन्य चार श्रमिकों (अनुबन्ध "क") की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत के हकदार हैं ?

अनुबन्ध "क"

1. श्री अमी चन्द
2. श्री नवल सिंह
3. श्री हरस्वरूप
4. श्री तुला राम
5. श्री ओम प्रकाश

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/257-87/42232.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भगवान महावीर वैरीटेबल आईज होस्पीटल कम कम्युनटी आईज एण्ड रिसर्च सैंटर, हैली मण्डी, पटौदी, जिला गुड़गांव, (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुड़गांव के श्रमिक श्री मुन्शी राम, पुत्र श्री भरतु राम, गांव व डा० लुहारी, वाया हैलीमंडी, तह० झज्जर, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मुन्शी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/कुरु०/49-87/42240.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० शाहबाद कोऑपरेटिव शूगर मिल लि०, शाहबाद मारकण्डा के श्रमिक श्री देश राज, पुत्र श्री तुलसी राम, गांव गुमरी, डा० मदनपुर, जिला कुरुक्षेत्र तथा इसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री देश राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/93-87/42247.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० लक्ष्मी प्रीसिजन स्क्रयुज लि०, हिसार रोड, रोहतक, के श्रमिक श्री गुलशन शर्मा, पुत्र श्री बिहारी लाल शर्मा, मकान नं० 967/23, नया बाजार, गांधी नगर, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :

क्या श्री गुलशन शर्मा की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० गुड़गांव/250-87/42255.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० निग्रो लि०, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्रीमति कृष्णा यादव, पत्नी श्री राम पत, मार्फत श्री श्रद्धानन्द, महासचिव, जनरल फैक्ट्री वर्करज यूनियन (एटक) गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रीमति कृष्णा यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/कुरु/42-87/42262.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० (1) उप-कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, (2) को-आर्डीनेटर, कृषि ज्ञान केन्द्र, 546, अर्बन अस्टेट, कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री मदन लाल, पुत्र श्री गोबिन्द राम, मकान नं० 783/5, गुरु नानकपुरा मुहल्ला, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री मदन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/हिसार/96-87/42269.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० परियोजना निदेशक भारत आष्ट्रेलियन, पशु प्रजनन परियोजना, हिसार के श्रमिक श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री बीरबल, ग्रांव व डाकखाना तलवन्डी राणा, तहसील व जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री प्रताप सिंह की सेवओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो, वह किस राहत का हकदार है ?